

आर्थिक दासता का फन्दा
डंकल प्रस्ताव

रामप्रकाश मिश्र

भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ, रामनरेश भवन
तिलक गली पहाड़गंज-नई दिल्ली-110055



आर्थिक दासता का फन्दा डंकल प्रस्ताव

रामप्रकाश मिश्र

भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ, रामनरेश भवन
तिलक गली पहाड़गंज-नई दिल्ली-110055

लेखक-

रामप्रकाश मिश्र

प्रकाशक -

भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ,

प्राप्तिस्थान -

भारतीय मजदूर संघ,
रामनरेश भवन, तिलक गली
पहाड़गंज, नई दिल्ली -110055

मूल्य- 4 रु.

मुद्रक -

मातृभूमि नई दिल्ली, दूरभाष - 7516048

वित्त राज्य मंत्री अबरार अहमद ने लोकसभा में 19 मार्च 1991 को बताया कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 84.6 करोड़ है। देश के प्रत्येक नागरिक पर सालाना 2302 करोड़ रूपये के देशी और विदेशी कर्ज हैं। इसमें से प्रति भारतीय पर विदेशी कर्ज 1260 रूपये हैं। केन्द्र सरकार पर घरेलू बाजार ऋण 1991-92 में 78075 करोड़ रूपये और विदेशी ऋण 10,6,638 करोड़ रूपये था। उसके अतिरिक्त घरेलू कर्ज पर 7355 करोड़ रूपये का ब्याज और विदेशी कर्ज पर 2704 करोड़ रूपये का ब्याज देय था, किन्तु जब कर्ज का विवरण हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद देखते हैं तो चौकाने वाला है। विवरण निम्नांकित हैं:-

वर्ष	ऋण करोड़ रूपये में
1950-51	032
1980-81	19,740
1985-86	45,961
1990-91	1,63,268
1991-92	2,36,237
1992-93	2,76,662

(राष्ट्रीय सहारा से साभार प्राप्त 2 मार्च 1993)

इस प्रकार विश्वमुद्राकोष एवं अन्तर राष्ट्रीय मुद्राकोष का इस समय भारत पर 2,76,662 करोड़ का कर्ज है। जो प्रति व्यक्ति 3180 रु. औसत सालाना कर्ज है। ऐसी सम्भावना है कि यह रकम अगले 20 माह में दुगनी हो जायेगी। भारत के कर्ज लेने की यह रफ्तार बहुत तेज है। हमारे बुजुगों ने भी कहा है कि “गये पूत जब माँगन पाये” अर्थात् उस पूत का विनाश होना स्वाभाविक है, जिसे माँगने पर बराबर कर्ज मिलता रहता है। अपना भी विनाश निकट ही है यदि कर्ज लेना इसी प्रकार जारी रहा तो।

यदि देश के हित में यह कर्ज 10 गुना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने जिन शर्तों पर यह कर्ज लिया है, वे शर्तें हमें पुनः गुलामी की ओर ले जा रही हैं।

परिणाम स्वरूप देश के बाजार विदेशी वस्तुओं से पट जायेंगे और स्वदेशी उद्योग दम तोड़ देंगे। जस्तरत की छोटी छोटी वस्तुओं तक के लिए हम विदेशी कम्पनियों के मुक्ताज होंगे। यही नहीं विकास कार्यों के खर्च में कटौती, सरकारी दफ्तरों में विदेशी खरीद, यहां तक कि बाढ़ और भूकृष्ण जैसी प्राकृतिक आपदाओं में सहायता की कोताही, खाद, पानी पर सब सीड़ी देने पर मनाही, कर्मचारियों की भरती पर रोक और इकिजट पालिसी के बनाने के लिए दबाव, श्रम कानूनों में संशोधन, लाइसेंस प्रणाली को उदार बनाने एवं अभी अभी सरकारी कर्मचारियों की संख्या में 10% कटौती करने आदि ऐसे कार्यों के लिए तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा दबाव भारत के रूपये का अवमूल्यन किया जाना है। अवमूल्यन के कारण भारत पर विदेशी कर्ज की रकम अपने आप बढ़ गई है। आयात और निर्यात प्रभावित होता है। दोनों ही प्रकार से घाटा ही घाटा दिखाई पड़ता है।


विश्व बैंक के दबाव में रक्षा व्यय में कटौती के कारण देश की सुरक्षा का खतरा बढ़ता जा रहा है। 1987-88 में रक्षा के व्यय में जहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.1 प्रतिशत खर्च किया गया था। उसे विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव के कारण 1993-94 में घटा कर 2.87% कर दिया गया है। अन्तरराष्ट्रीय ताकतों के लिए हम उनके इशारे पर रक्षा खर्च में कटौती के लिए तैयार हो गये हैं। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष रक्षा-व्यय को अनुत्पादक मानता है। पनामा और अर्जेन्टाइना में 3 दिसंबर 1990 को आय-व्यय में कटौती करने के अधिकार जग जाहिर हैं। विश्व बैंक का यही दबाव भारतीय रक्षा-व्यय पर है। व्यय में कटौती करने को कहा है। विश्व बैंक ने नवम्बर 1992 को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में भारत को अपनी राजकोषीय घाटा को कम करने को कहा है। 1990-91 में सकल राजकोषीय घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 8.4 प्रतिशत था। विश्व बैंक ने इसे 1993-94 में 4.5% कम करने के लिए कहा है। परिणाम स्वरूप राज्यकोषीय घाटा कम करने के लिए रक्षा व्यय में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की 1.25% की कमी की गई है। विश्व बैंक ने सरकारी खर्च में 9% कमी करने का निर्देश दिया है, जिसका विवरण विश्व बैंक की रिपोर्ट संख्या 8995 के आई.एन.पैरा 8-41 और 9-51 में है। सरकारी खर्चों के हिसाब से रक्षा-व्यय में पिछले वर्षों से कुल रक्षा बजट का 14 प्रतिशत खर्च विश्व बैंक के निर्देश के अनुसार सरकारी खर्च के अनुपात में 9 प्रतिशत की कमी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

इसी परिप्रेक्ष्य में रक्षा बजट 1993-94 में 19180 करोड़ निर्धारित किया गया है।

यद्यपि यह चालू वर्ष के रक्षा बजट 17,500 करोड़ रुपये से 1680 करोड़ या 9.6 प्रतिशत अधिक है, परन्तु मुद्रास्फीति की वर्तमान दर को देखते हुए यह बढ़ोत्तरी नाम मात्र की होगी। इसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि पेंशन आदि को देखते हुए यह बढ़ोत्तरी ही नहीं अपितु कटौती ही कहा जाएगा। रुपये के अवभूल्यन का रक्षा बजट पर विपरीत असर पड़ेगा। भारत और चीन का सीमा विवाद हल करने में द्विपक्षीय वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं है। पाकिस्तान से सम्बन्धों को देखते हुए भारत का वर्तमान रक्षा-व्यय प्रभावकारी नहीं है। इसके विपरीत पाकिस्तान और चीन के रक्षा बजट सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्रमशः 4 प्रतिशत और 7 प्रतिशत हैं। अर्थात् दोनों ही देश अपनी ग्रतिरक्षा सम्बन्धी सहायता भी दी जा रही है। नवनिर्मित भारतीय युद्धक टैक “अर्जुन” की तुलना में पाकिस्तान ने ब्रिटेन में निर्मित मुख्य युद्धक टैक प्रोधोगिकी हस्तांतरण के जरिए खरीदने की योजना बनाया है। वह 1993-94 में भारी राकेट ब्रिगेड और एक नया तोपखाना ब्रिगेड अपनी सेना में जोड़ने जा रहा है। पाक द्वारा “जर्ब ए मोमिन” रक्षा अभ्यास, पोलैण्ड निर्मित टी-72 टैक अनुबंधन, खाड़ी युद्ध के बाद अरब द्वारा टी-‘72’ खेप पाकिस्तान को दिया जाना भारत के लिये क्षेत्रीय चुनौतियाँ बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के पास परमाणु बम होना भारत के लिये काफी गंभीर खतरे का संकेत है।

क्षेत्रीय चुनौतियों के फरिप्रेश्य में विश्व बैंक का दबाव भारत के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। विशेषकर अगले वर्ष के रक्षा बजट में रक्षा सुविधाओं, परियोजनाओं के विस्तार आधुनिकीकरण, और नये हथियार, वायुयान खरीदने के नजरिए से देखा जाय तो स्थिति चिंतनीय है, कारण कि रक्षा बजट का 70 प्रतिशत वेतन भत्तों तथा 12 प्रतिशत भण्डारन में खर्च होता है तथा तीनों सेना का सुर्च भार भी रक्षा बजट में जुड़ गया है। पजांब के बाद जम्मू कश्मीर और अयोध्या प्रकरण में सेना की तैनाती पिछले एक वर्ष में सघन तरीके से हो रही है। यह सब देखते हुए एक बात स्पष्ट होती है कि रक्षा बजट में कटौती से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

विदेशी कर्ज के कारण जो देश की स्थिति बनी है। और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक का हमारी आर्थिक और औद्योगिक नीति पर जिस प्रकार का दबाव पड़ रहा है और “डंकल प्रस्ताव” स्वीकार करने के लिए जिस प्रकार से चौतरफा धेराबन्दी की जा रही है, उससे हमारी रक्षा नीति भी प्रभावित होगी। यदि जल्दबाजी में “डंकल प्रस्ताव” स्वीकार



**विभिन्न देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का रखा - व्यय में प्रतिशत
(राष्ट्रीय सहरा से सामाज प्राप्त मार्च 1993)**

कर लिया तो हमारी नीति “करेला नीम पर चढ़ा” जैसी हो जायगी। और देश की स्थिति वद से बदूतर होने में देर नहीं लगेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि “डंकल प्रस्ताव” क्या है? और आगे चलकर हमारे देश पर इसके दुष्परिणाम क्या होंगे यह जानकारी कर लेना हम भारतवासियों के लिए आवश्यक होगा।

डंकल प्रस्ताव में कपड़े और पोशाक, सेवाओं पर व्यापार, संस्थागत भसले के निपटारे, ट्रिम समेत गैट के नियम, ट्रिप्स और बाजार कृषि, पशु, पौधा तथा वनस्पति आदि के जीन्स को पेटेन्ट करने, बौद्धिक सम्पदा के स्थान पर प्रक्रिया को पेटेन्ट करने और पेटेन्ट अवधि में अमरीका के अनुसार समय तय करने आदि विषयों का 436 पृष्ठों में विवरण दिया गया है, जिनका यहां संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

पेटेन्ट

पेटेन्ट के अन्तर्गत आने वाले विषय से सम्बद्ध किसी वस्तु को अन्य पक्षों द्वारा बनाए जाने, इस्तेमाल किए जाने, बिक्री के लिए प्रस्तुत किये जाने अथवा आयात किए जाने से रोकना होता है। यह संबंध करने के लिए जिस व्यक्ति या संस्था के नाम पेटेन्ट है, अर्थात् सरकार द्वारा जिस किसी के नाम रजिस्टर्ड किया गया है, उस व्यक्ति अथवा संस्था से

अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(अ) पेटेन्ट प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी अन्य पक्ष द्वारा उस प्रक्रिया के उपयोग के लिए प्रस्तुत किये जाने, बिक्री के लिए प्रस्तुत किए जाने, बेचने अथवा उस प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त उत्पाद का आयात करने से रोकना है।

(ब) प्राधिकार के बिना अन्य उपयोग, सरकार द्वारा किए जाने वाले उपयोगों अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पक्षों द्वारा किए जाने उपयोगों सहित रोकना।

(स) प्रत्येक मामले पर उसके गुण दोषों सहित विचार किया जायेगा।

(द) आपातकालीन स्थिति तथा अन्य अत्यधिक तात्कालीन परिस्थितियों के मामले में यह शर्त हटाई जाएगी।

(घ) यह मुख्य रूप से देशी बाजार की पूर्ति के लिए होंगे। यह किसी के लिए सीमित होंगे अर्थात् अनन्य नहीं होंगे।

(न) उपयोग की वैधता का न्यायाधिक पुनरीक्षण किया जा सकता है।

पारिश्रमिक की राशि का न्यायाधिक पुनरीक्षण अथवा अन्य पुनरीक्षण कराया जा सकता है।

(प) पेटेन्ट दायर करने की तारीख से 4 वर्ष अथवा पेटेन्ट प्रदान किए जाने की तारीख से 3 वर्ष बाद इनमें से जो पहले हो पेटेन्ट वस्तु अथवा प्रक्रिया के काम न करने के आधार पर प्राधिकार नहीं दिया जाएगा। जब तक नीकी अथवा आर्थिक कारणों से स्थानीय बाजार में आपूर्ति के लिए आयात पर्याप्त हो या ऐसा करने के लिए उचित कारण हों।

(फ) पेटेन्ट जब्त किए जाने के लिए न्यायाधिक पुनरीक्षण का समय दिया जायेगा।

(ब) दीवानी कार्यवाई की दशा में प्रासेस पेटेन्ट की कथित नकल करने वाले को यह सबूत पेश करना होगा कि वह दोषी नहीं है, किन्तु प्रतिवादी के उचित हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

४५

भारत में जिनका पेटेन्ट नहीं किया जायेगा

जिन चीजों को अविष्कार में शामिल नहीं किया जा सकता है उनकी सूची भारत के

पेटेन्ट अधिनियम धारा तीन में दी गई है।

(1) कृषि अथवा बागबानी की कोई प्रक्रिया पेटेन्ट नहीं की जाएगी।

(2) मनुष्य के चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सकीय, अरोग्यकारी उपचार, रोग निरोधक उपचार, या अन्य उपचारों के लिए कोई प्रक्रिया, जिससे वे रोग मुक्त हो जाय अथवा उनका लाभप्रद मूल्य अथवा या उनके उत्पादों का मूल्य बढ़ जाय।

अविष्कार जो पेटेन्ट योग्य नहीं हैं

(i) परमाणु उर्जा से सम्बन्धित अविष्कार का पेटेन्ट नहीं किया जाता है।

(ii) रासायनिक पदार्थों पर आधारित वस्तुओं के लिए पेटेन्ट प्रदान नहीं किया जाता है। केवल ऐसे पदार्थों की निर्माण प्रक्रिया और पद्धतियाँ पेटेन्ट योग्य हैं:-

(क) ऐसी वस्तुयें जिनका भोजन अथवा दवाओं अथवा भेजजों के रूप में उपयोग किया जा सकता हो, अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार की गई अथवा उत्पादित वस्तुएँ।

पेटेन्ट के लिए आवेदन

(अ) प्रत्येक विनिर्देश में अविष्कार का पूरा पूरा विवरण दिया जाएगा।

(ब) पदार्थ तैयार करने की प्रक्रिया के लिए प्रजातिगत दावों का सम्बन्ध निर्माता की केवल पद्धति अथवा प्रक्रिया से होना चाहिए।

(स) पेटेन्ट उस तारीख से दिनांकित होगा जिस दिन सम्पूर्ण विनिर्देश दायर किया जाएगा।

पेटेन्ट दिए जाने के लिए कुछ शर्तें

(अ) उस प्रक्रिया का, जिसके लिए पेटेन्ट प्रदान किया जाता है सक्षम सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से केवल बने प्रयोजकों के लिए किया जा सके।

(ब) किसी दवा भेषज के लिए पेटेन्ट के मामले में उस दवा का अपना भेषज का 'आयात सरकार द्वारा अपने उपयोग अथवा वितरण के लिये किया जाता हो।

पेटेन्ट का अधिकार

प्रक्रिया के पेटेन्ट के लिए पेटेन्ट को सील करने की तारीख से 5 वर्ष अथवा पेटेन्ट की अवधि की तारीख से 7 वर्ष इनमें जो भी कम हो।

पेटेन्ट को वापस किया जाना

लोक हित में उपयोग की विधि राज्य अथवा सामान्य रूप से जनता के हितों के विपरीत हो तो पेटेन्ट वापस कर लिया जाएगा।

पेटेन्ट अधिकार पर लागू सामान्य सिद्धान्त

(अ) पेटेन्ट अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(ब) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकार का भारत में व्यापारिक आधार बन सकेगा।

(स) पेटेन्ट, को पूरा पूरा बिना किसी विलम्ब के काम में लाया जाएगा।

(द) पेटेन्ट, पटेन्ट धारकों को मात्र विदेशों से पेटेन्ट आयात करने के लिए या एकाधिकार प्रदान करने के लिए नहीं दिया जाएगा।

भारत में अधिकार और प्रक्रिया का पेटेन्ट किया जाता है, किन्तु उत्पाद का पेटेन्ट नहीं होता है। किसी जीन और सेवाओं का भी पेटेन्ट नहीं किया जाता है। अमरीका का दबाव है कि भारत अपने जीन, सेवात्वा प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद का पेटेन्ट करने के लिए पेटेन्ट कानून में संशोधन करे, कारण कि भारत का पेटेन्ट कानून जनता प्रधान है, जब कि अमरीका का पेटेन्ट कानून व्यक्ति प्रधान है। भारत के पेटेन्ट की अवधि 5 वर्ष है, जब कि अमरीका की यह अवधि 20 वर्ष है।

भारत में पेटेन्ट कानून

भारत में पेटेन्ट कानून 1856 में बना। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार ने

भारतीय बाजार पर अंग्रेजी इजारेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पेटेन्ट कानून बनाया था। 1867 को विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन का गठन हुआ और 1883 में पेरिस कनवेन्शन हुआ।

जहां भारत में पेटेन्ट कानून बनाने का उद्देश्य भारतीय बाजार पर ड्रितानी कब्जा था, वहीं पेरिस समझौते में विकासशील देशों की बाजार पर विकसति देशों की इजारेदारी रहे - इसी बात को विस्तार पूर्वक रखा गया था। उपनिवेशवादी समूह को विकसित देशों की झोली में डालना था। उस समय पेटेन्ट (एकाधिकार) के रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें एक भी पेटेन्ट किसी भी भारतीय के नाम नहीं हुआ। इस पेटेन्ट अधिनियम के बाद भारत के वस्त्र उद्योग पर बहुत प्रभाव पड़ा। हमारा पारम्परिक कपड़ा बुना ईउद्योग 'गाढ़ा बुनकरों' के हाथों से निकलकर मैनचेस्टर के कपड़ा बनियों के हाथ चला गया। जिनके नाम पेटेन्ट हुआ उन्होंने नाम मात्र का उत्पादन भारत में किया। सारा उत्पादन ड्रिटेन से ही भारत में आया।

इस पेटेन्ट अधिनियम में 1911 में संशोधन किया गया। यह संशोधन भारतीय व्यापारियों और कारीगरों तथा उद्योगपतियों के विरोध स्वरूप हुआ। यह संशोधन के बावजूद पेटेन्ट के रजिस्ट्री के लिए भारतीय व्यापारियों और कारीगरों तथा उद्योगपतियों में उत्साह पैदा नहीं हुआ। इस कानून संशोधन के बावजूद 1900 से 1920 के पूर्व 492 आवेदनों में मात्र 91 आवेदन देशी थे। भारत का पेटेन्ट कानून 1856 से 1970 तक जैसा बना है वह अभी तक ज्यों का ख्याल लागू है। पेटेन्ट की रजिस्ट्री करवाने वालों में किस तरह विदेशियों का वर्चस्व है। वह निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

वर्ष	पेटेन्ट रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत किए गये आवेदन	भारतीयों द्वारा दिए गये आवेदनों का प्रतिशत	विदेशियां द्वारा दिए गये आवेदनों का प्रतिशत
1856	33	0	100
1900	492	9	91
1920	1037	9.5	90.5
1940	741	28.5	71.2
1947	2370	9.3	90.7
1960	45.03	14.7	85.3
1970	5142	21.7	78.3

(नेशनल वर्किंग युप आन पेटेन्ट लाज से साभार प्राप्त)।

भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970 अपने सभी पूर्ववर्ती पेटेन्ट अधिनियमों के विपरीत पूरी ताकत से भारतीय हितों की रक्षा करता है। अपनी इस राष्ट्रवादी विशेषता के चलते तीसरी दुनिया के देश भी इसे एक आदर्श पेटेन्ट अधिनियम तो मानते ही हैं। जंकटाड जैसे संगठनों ने भी इस पेटेन्ट अधिनियम को अच्छा माना है। भारत का पेटेन्ट अधिनियम बाजारगत अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है। अमरीका जैसे देश इस अधिनियम को संरक्षणवादी शब्द से परिभाषित करते हैं। यह अधिनियम कैसे समाप्त होया उनके उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए अमरीका भारत पर दबाव डाल रहा है कि वह भारत के पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन स्वीकार करले। सत्य यह है कि अमरीका की वर्तमान समस्या उसका व्यापार घाटा और देश में बढ़ रही बेरोजगारी है। अमरीका का विश्व व्यापार में जापान की तुलना में 41 बिलियन डालर की कमी उसको काफी हताश किए हुए हैं और वह एनकेन प्रकारेण बड़े बाजार की तलाश कर रहा है। भारत में मध्यम श्रेणी के कुल उपभोक्ता 20 करोड़ हैं और जब कि समस्त युरोप में मध्यम उपभोक्ता कुल 34 करोड़ हैं। भारत मध्यम उपभोक्ता का बहुत बड़ा बाजार है। इसी कारण अमरीका की गिर्द दृष्टि भारत पर लगी हुई है।

अमरीका व्यापार का चढाव व उतार निम्नांकित है:-

वर्ष	विलियन डालर
1984	123
1985	134
1986	155
1987	170
1988	120
1989	111
1990-91	105 से 111

(नेशनल वर्किंग युप आन पेटेन्ट लाज से साभार प्राप्त)

अमरीका अपनी इसी समस्या औं का समाधान भारतीय उपभोक्ता बाजार में देख रहा है। उसका वृहत् प्रवेश भारत के उन अधिनियमों में संशोधन से ही सम्भव है, जो इसके

लिए बाधक बने हुए हैं।

भारत के पेटेन्ट अधिनियम 1856 और पेरिस कनवेंशन 1883 में काफी समानता थी। अमरीका आज भी उस समानता को बनाये रखने के लिए भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है।

भारत के पेटेन्ट अधिनियम 1911 पर पुनः विचार

स्वतंत्रता के बाद 1948 में रिटायर्ड जज टेकचन्ड के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति को यह कार्य सौंपा गया कि वह अध्ययन करके बताएं कि पेटेन्ट अधिनियम 1911 भारत के हित में है कि नहीं व उहोंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया किन्तु तत्कालीन सरकार टेकचन्ड की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए उसने जस्टिस एनः राजगोपाल आयंगर के नेतृत्व में 1957 में दूसरी जांच समिति का गठन किया। एन. राजगोपाल आयंगर की रिपोर्ट और टेकचन्ड की रिपोर्ट में काफी समरूपता थी। दोनों कमेटियों की जांच का निष्कर्ष यही रहा कि पेटेन्ट अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाय। इसके लिए बुद्धिजीवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लेखक, पत्रकारों तथा सांसदों ने नये पेटेन्ट अधिनियम बनाने के लिए सरकार को सुझाव दिया। सरकार ने नया पेटेन्ट अधिनियम 1970 बनाया भी किन्तु उसके बावजूद भारत सरकार ने पेरिस कनवेंशन में शामिल होकर उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। उसके कुछ कारण हैं। राजीव गांधी अमरीका से वैज्ञानिक प्रोफेशनल की चाहते थे। अमरीका ने इसे संशर्त देने को कहा। फलस्वरूप उस समय के वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह में वार्ता में भाग लिया। 1986 में पेरिस कनवेंशन पर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत का पक्ष रखने गये थे तो 'गैट' के महानिदेशक आर्थर डंकल ने अपना प्रस्ताव भी रखा। वार्ता के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पेरिस समझौते पर विचार करके आगे बताने को कहा। जब कि विश्व के विकासशील देश भारत के रूख की प्रतीक्षा में थे। भारत प्रतिनिधि के हां कहने पर विकासशील देश के प्रतिनिधि काफी निराश हुए। उसके बाद विदेश मंत्री दिनेश सिंह गये। दिनेश सिंह के बाद अरुण नेहरू जाने वाले थे, किन्तु जाने से पहले सरकार चली गई और वे जा नहीं पाये। जो कल्पित अध्याय सरकार ने खोला था उसका अन्त अब होने वाला है। कुछ भी हो भारत सरकार के प्रतिनिधि ने वार्ता में शामिल होकर बहुत बड़ी भूल की है और उस भूल का खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। चीन ने कर्ता

की है और उस पूल का अभियान पूरे देश की जनता को मुक्तना करेगा। चीन ने वार्ता में भाग नहीं लिया। अमरीका ने जब अपने सुपर 301 कानून के द्वारा चीन को धमकी दी तो चीन ने साफ कह कि “जो करना हो कर लीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा”। अमरीका ने मजबूर होकर समझौता कर लिया।

गैटस्मेलन की वार्ता के सात दौर समाप्त हो गये हैं और वार्ता का आठवां दौर चल रहा है। 26 फरवरी 1993 को कार्ल हिल्स की उपस्थिति में वार्ता हुई। कार्ल हिल्स अमरीका की वित्त विभाग की संरक्षिका है। वार्ता का अन्तिम दौर अप्रैल 1993 में पूरा होगा।

भारत यदि पेरिस समझौता स्वीकार कर लेता है, तो विकसित देशों का विकासशील देशों की उपभोक्ता बाजार पर इजारेदारी बढ़ जायेगी। कारण कि 1883 में जब पेरिस निर्णय हुआ था उसके 17 वर्षों बाद तक अर्थात् 1900 तक 103 देश उस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। भारत पर भी दबाव पड़ रहा है। यदि भारत हस्ताक्षर करता है तो भारत की 20 करोड़ मध्यमवर्गीय उपभोक्ता का बाजार विकसित देशों के माल से पट जायेगा। पेरिस समझौते पर सन् 1900 में ब्रुसेल्स में, 1911 वाशिंगटन, 1925 में हेग, 1938 में लन्दन, 1950 में लिख्वन, 1967 में स्टाक होम में वातायें आयोजित हुईं तथा कुछ परिवर्तन किए गये। अन्तिम परिवर्तन 1979 में किया गया।

अमरीका का विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर काफी प्रभाव है। यदि अमरीका इन दोनों को भारत को कर्ज देने से मनाकर दे तो भारत का अन्तरिक सर्व और देश में चल रहा विकास कार्य रुक जायगा। भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। जब तो “भई गति सांप छछूदर केरी- उग्रिलत लीलत प्रीति घनेरी” की स्थिति हो गई है। हां कह दे तो देश दासता की जंजीर में बंध जाय - नहीं कह दे तो सारा काम ही ठप हो जाए।

भारत में पेटेन्ट कानून के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय दल का गठन 1988 में किया गया। इस दल में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, वकीलों, पत्रकारों, उपभोक्ता संगठनों, मजदूर संगठनों, औद्योगिक संघों और सामाजिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की गैर सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। यह पहल विदेशी आर्थिक आक्रमण से बचने के अभियान के रूप में की गई है। चूंकि भारतीय पेटेन्ट कानून में पर्याप्त परिवर्तन की मांग जोर

पकड़ती जा रही है। इसलिए कार्यकारी दल का लक्ष्य निमांकित उद्देश्य प्राप्त करना है:-

(i) पेटेन्ट कानून और पेरिस समझौता 1883 से सम्बद्ध मुद्दे पर विस्तृत विचार करना।

(ii) विचार करके प्रबन्ध प्रपत्र प्रकाशित करना।

(iii) सभी पहलू पर विचार करने के लिए गोष्ठियां आयोजित करना।

(iv) कार्यकारी दल का सम्पत् दृष्टिकोण सरकार को बताना।

(v) विश्व के अन्य देशों के पेटेन्ट कानून का अध्ययन करना।

भारत में 1990 में तीसरी दुनियां का पेटेन्ट सम्बेलन आयोजित किया गया, जिसमें विकासशील देशों से 111 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पेटेन्ट के ऊपर पूरे दिन भर चर्चा हुई। बाद में नयी दिल्ली घोषणा: बौद्धिक अधिकार और दायित्व सम्बन्धी प्रस्ताव तीसरे विश्व सम्बेलन में सर्व सम्मति से पारित किया गया। 'गैट' वार्ता के उरुग्ये राउण्ड और पेटेन्ट कानून के बारे में नयी दिल्ली घोषणा जारी की गई, जिसकी सभी पक्षों ने प्रशंसा की।

'गैट' वार्ता उरुग्ये राउण्ड का समाप्तन 1990 के प्रथम सप्ताह में होना था। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्ये राउण्ड के निष्कर्षों का 390 पृष्ठ का अन्तिम पाठ पेटेन्ट कानून सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दल को दिसम्बर 1990 के शुरू में प्राप्त हुआ। हमारे संयुक्त संयोजक ने 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 1990 तक ब्रूसेल्स में वार्ता के दौरान गैर सरकारी संगठनों की बैठकों में राष्ट्रीय कार्यकारी दल का प्रतिनिधित्व किया। दिसम्बर 1990 को विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष अपना पक्ष जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यकारी दल ने 'गैट' करार के अन्तिम पाठ के विभिन्न उपबन्धों के परिणामों की जांच करने के लिए विशेष दल का गठन किया। इस दल के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए 30 दिसम्बर 1990 को 'गैट' वार्ता के उरुग्ये राउण्ड के समक्ष प्रस्तावित विषय पर एक और कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में भी जाने माने वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विशेष दल द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों पर व्यापक रूप से विचार विभर्ष किया गया। किसानों और अन्य सम्बन्धित पक्षों को यह जानकारी होना आवश्यक है कि कृषि और अर्थ व्यवस्था पर इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। भारत के पेटेन्ट कानून में कौन कौन से परिवर्तन किए जायें ताकि उसका हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसको जानने और

सही आंकलन करने के लिए भारत के पेटेन्ट कानून की विशेषताओं को समझना जरूरी है। इसलिए इसका विस्तृत वर्णन पहले ही किया गया है।

अनिवार्य लाइसेन्स

पेटेन्ट से असंतुष्ट लोगों की युक्ति युक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। अविष्कार उचित की मत पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो पेटेन्ट सील करने की तारीख से 3 वर्ष बाद सरकार अनिवार्यतः पेटेन्ट धारक को किसी और व्यक्ति को लाइसेन्स देने के लिए बाध्य कर सकती है।

खुला लाइसेन्स

केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगों की उचित अपेक्षाएं न पूरी होने पर, उचित की मत पर जनता को न मिलने पर, खाद्य, औषधि रासायनिक पदार्थों के मामले पेटेन्ट सील करने की तारीख से तीन वर्ष बाद खुला लाइसेन्स अपने आप लागू हो जाता है। रायल्टी की रकम सहित बिक्री मूल्य के 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार अथवा नियंत्रक के आदेशों के खिलाफ पेटेन्ट अधिनियम में अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत और अमरीकी पेटेन्ट कानून में अन्तर

(i) भारत के पेटेन्ट कानून की अवधि 5 वर्ष होती है, जबकि अमरीकी पेटेन्ट कानून की अवधि 20 वर्ष होती है,

(ii) भारत में उत्पाद का पेटेन्ट नहीं होता है, जबकि अमरीका में उत्पाद का पेटेन्ट होता है।

(iii) भारत में प्रक्रिया का पेटेन्ट होता है, जबकि अमरीका में प्रक्रिया का पेटेन्ट नहीं होता है।

(iv) भारत में जीन्स को ईश्वर की सम्पत्ति मानकर पेटेन्ट नहीं किया जाता है। जबकि अमरीका ने सन् 1985 में जीन्स को पेटेन्ट कानून योग्य बना दिया है।

(v) अमरीका सर्विस व्यापार को पेटेन्ट करने पर जोर दे रहा है, जबकि भारत इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

भारत के पेटेन्ट कानून की विशेषताएं

भारत की सोच है कि अविष्कारकर्ता, पुस्तकालय, लेबोर्टरी, और समाज से आर्थिक तथा अन्य प्रकार का सहयोग लेकर अपना अविष्कार का कार्य पूरा करता है। उसके अविष्कार में समाज और जनता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसलिए भारत का पेटेन्ट कानून समाज प्रधान है। जबकि अमरीका का पेटेन्ट कानून व्यक्ति प्रधान है। अमरीका में अविष्कार कर्ता को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। यही भारत और अमरीकी पेटेन्ट कानून में अन्तर है।

अमरीका का सुपर 301 कानून ~~~~~

अमरीका ने विशेष व्यापार कानून सुपर 301 तथा स्पेशल 301 बनाया है। कार्ला हिल्स उसी सुपर 301 और स्पेशल 301 की संरक्षिका है। भारत को ही सुपर और स्पेशल 301 के माध्यम से चुनौती क्यों दी गई? कारण कि भारत ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वह विदेशी व्यापार में अमरीका को चुनौती दे सके। चीन 'गैट' का सदस्य नहीं है। गैट वार्ता में शामिल होने की उसकी बाध्यता भी नहीं है। अमरीका बार बार भारत सरकार पर दबाव डाल रहा है कि भारत अपने पेटेन्ट कानून में परिवर्तन को राजी हो जाय। भारत अभी तक उत्पाद का पेटेन्ट करने को राजी नहीं हुआ है। भारत पर यह भी अमरीकी दबाव पड़ रहा है कि वह प्रक्रिया पेटेन्ट करने की बात छोड़ दे। अमरीका का यह भी दबाव है कि भारत अपने पेटेन्ट कानून में संशोधन कर सर्विसेज (सेवायें) भी जोड़ ताकि भारत की सेवाओं में विदेशी कम्पनियां प्रवेश कर सकें। बैंक, एल आई सी, पोस्टल, दूरसंचार, परामर्श व प्रासेसिंग डाटा तथा परिवहन (रेलवे, रोडवेज तथा एयरवेज) आदि में विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां सेवा करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। अमरीका के बेरोजगार लोग भारत की सेवाओं में खप सकें। अभी भारत हिम्मत के साथ विरोध में डटा है, किन्तु आगे क्या होगा? यह तो भविष्य पर निर्भर है।

वर्ष 1989 में कार्ला हिल्स भारत आई थी। कार्ला हिल्स ने भारत के साथ सुपर 301 के अन्तर्गत ब्राजील और जापान को नोटिस दिलवाया। इसी प्रकार की नोटिस चीन को भी दी गई। भारत को नोटिस स्पेशल 301 के अन्तर्गत दी गई थी। भारत को नोटिस देने के बाद यह भी कहा गया कि यदि भारत पेटेन्ट कानून और कापी राइट कानूनों में बदल

नहीं करता है तो भारत के विरुद्ध स्पेशल 301 का प्रयोग किया जायगा। अमरीका व्यापार घाटे का लगभग एक प्रतिशत घाटा भारत के खाते में आता है। फिर भी भारत को नोटिस दी गई है। भारत के निर्यात का 27 प्रतिशत अमरीका को जाता है। दूसरे भारत के अल्प कालीन एवं दीर्घ कालीन संस्थागत ऋण प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक और अन्तर राष्ट्रीय मुद्रा कोष का लगातार समर्थन चाहिए। कच्चे माल की मण्डी, तैयार माल के लिए मध्यम श्रेणी उपभोक्ता बाजार की अनुस्पत्ता, तथा सेवाओं के बाजार के रूप में भारत अमरीका के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। भारत द्वारा आयात में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि हो रही है। ऐसा अनुमान है कि सन् 2000 तक यह 80 से 100 अरब डालर के बीच होगी। अमरीका अपने व्यापार को इस दशक तक 40 से 50 अरब डालर तक बढ़ाना चाहता है। वर्तमान समय अमरीकी अर्थ तंत्र में सेवाओं, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, परामर्श और परिवहन का कुल योग 76 प्रतिशत है। भारत में ये सभी सेवा क्षेत्र राष्ट्रीयकृत हैं। इसलिए भारत में इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत के स्थान पर निजीकरण करने का दबाव है ताकि भारत के इन क्षेत्रों में सरलता से उदारीकरण हो सके। अमरीका और भारत में मुख्य विवाद की जड़ पेटेन्ट कानून हैं। अमरीका भारत के पेटेन्ट कानून में अपने अनुसार संशोधन चाहता है, इसलिए समय पर अपने ढंग से दबाव डालता रहता है।

भारत के उदारीकरण, निजीकरण, एवं आधुनिकीकरण की वर्तमान लहर में शायद पेटेन्ट एवं कापी राइट के क्षेत्र में उचित सतर्कता नहीं रखी जा रही है। लगता है यह बात भारत के विषय में जाएगी।

अमरीका में विदेश व्यापार घाटा लगभग 50 अरब डालर का है जो पेटेन्ट एवं कापी राइट के कारण है। भारतीय कानून एवं नीतियों के फल स्वरूप होने वाले संभावित घाटे का प्रतिशत नाममात्र का अर्थात् केवल एक प्रतिशत है। अमरीका ने अभी तक, जो भी कार्यवाई भारत के खिलाफ की है वह अन्तरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध है। अर्थात् संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का खुला उल्लंघन है। खेद है की हमारे राजनेता, प्रशासक, उद्योगपति, विधि विशेषज्ञ राष्ट्रहित के इस महत्वपूर्ण मसले पर ना समझी प्रकट कर रहे हैं। भारत के 250 संसद सदस्यों ने तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दलगत सम्बन्धों से ऊपर उठकर एक संयुक्त बयान जारी करके भारत सरकार से स्पेशल 301 एवं उरुग्वे वार्ता के मुद्दों पर पड़ रहे दबाव का छब्दता से प्रतिरोध करने को कहा है। इस बयान में कहा गया है कि बहुपक्षीय

'गैट' समझौता जिस पर वार्ता हो रही है आर्थिक प्रभुत्व के द्विपक्षीय दबाओं को पूरी तरह से वैद्यानिक बना देगा। इससे देश के आर्थिक विकास को मारी झटका लगेगा। इसी बयान में आगे कहा गया है कि विदेशी एकाधिकारवादी, शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों के जरिए हमारे देश के उद्योग एवं व्यापार दोनों में ही अपनी गहरी पैठ बना लेंगे। सर्वाधिक अनिष्ट यह होगा कि संसद के अधिकारों में काफी कमी आएगी। मामला केवल पेटेन्ट के संरक्षण का ही नहीं है। मामला सेवाओं के खोलने मात्र का भी नहीं है। असल मामला देश की आर्थिक सम्प्रभुता को हजम कर जाने का है। इन्टरनेशनल ट्रीटी के अनुसार किसी बात को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लेने के बाद उस पर कोई परिवर्तन या संशोधन आगे चलकर संसद भी नहीं कर सकेगी।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर डंकल के प्रस्ताव का प्रारूप:-

- (i) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों को निजी अधिकारों के रूप में स्वीकार करना।
- (ii) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं के विवादों को बहुपक्षीय प्रक्रिया के द्वारा निपटाने की वचन बद्धता की सुदृढ़ता को सुदृढ़ करना।
- (iii) 'गैट' और विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन' 1867 के बीच परस्पर समर्थन कारी सम्बन्धों की स्थापना।
- (iv) बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर राष्ट्रीय आन्तरिक कानूनों में 'गैट' करार का अनुपालन करना।
- (v) अन्य देशों के राष्ट्रिकों के साथ 'गैट' करार में की गई व्यवस्था के अनुसार व्यावहार करना।
- (vi) जहां तक बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के उपयोग और उन्हें लागू करने के लिए मानकों और उपलब्धता का सवाल है, सरकार पेरिस कनवेशन (निर्णय) से सम्बद्ध प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी।
- (vii) सरकारों द्वारा पेरिस कनवेशन के तहत वर्तमान दायित्वों का अनादर नहीं

किया जाएगा।

(xvii) पेरिस कनवेशन में की गई व्यवस्था के अनुसार अन्य देशों के राष्ट्रिकों के अनुरूप व्यावहार किया जाएगा।

(ix) किसी भी अविष्कार के लिए पेटेन्ट उपलब्ध होगा। चाहे वस्तु या प्रक्रियायें, कृषि और टेक्नालोजी से सम्बन्धित ही क्यों न हों। बशर्ते वे प्रक्रियायें नयी हों, उसमें नये नये सोपान हों, और उनको उद्योगों में उपयोग किया जा सके।

सम्पदा

सम्पदा तीन प्रकार की होती है। चल सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति, बौद्धिक सम्पत्ति। औद्योगिक सम्पदा मुख्यतः अविष्कारों, ट्रेड मार्कों, औद्योगिक अभिकर्ताओं तथा स्त्रोतों के अभियानों सम्बन्धी और दूसरे कापी राइट मुख्यतः साहित्य संगीत, ललित कला, फोटोग्राफी, दृश्य श्रव्य क्षेत्रों सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा के घटक मानवीय मस्तिष्क और बुद्धि की सृष्टि होते हैं। इसलिए इसे बौद्धिक सम्पदा कहते हैं। इसका सम्बन्ध सूचना के साकार माध्यम जैसे पुस्तक ध्वनि मुद्रिका एक ही समय में विश्व भर में कहीं भरे जाने से है।

बौद्धिक सम्पत्ति की समय सीमा है। विश्व बौद्धिक सम्पदा नामक संगठन जिसका जन्म स्टाक होम में 14 जुलाई 1867 को हुआ वह भी बौद्धिक सम्पदा के अधिकार सुरक्षित करने की दृष्टि से हुआ।

बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार

बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकार कारकों से सम्बन्धित हैं, जिसमें प्रथम साहित्यिक, दूसरा कलात्मक एवं तीसरा वैज्ञानिक सृजन है।

कलाकारों द्वारा ललित कलाओं के प्रदर्शन अर्थात् फोनोग्राम व प्रसारण है।

मानवीय उद्यम के किसी भी क्षेत्र में कोई अविष्कार वैज्ञानिक स्रोज, औद्योगिक अभिकल्पना, मार्का, सर्विस मार्का, अन्य वाणिज्यिक नाम, अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा से रक्षा तथा बौद्धिक क्रियाशीलता से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक आदि क्षेत्र में हों।

वैज्ञानिक खोज को इस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोई राष्ट्रीय अधिनियम या अन्तर राष्ट्रीय सम्बंध वैज्ञानिक खोजों के लिए सम्पदा के अधिकार नहीं देते हैं। वैज्ञानिक खोज, भौतिक विश्व के किसी चमत्कार गुण या नियम की पहचान करना है, जिसकी अब तक पहचान नहीं की जा सकी हो।

सेवाओं में व्यापार व चुंगी की विशेष सम्बंध (गैट्रस)

इसके द्वारा एक व्यापक ढांचा बनाया गया है, जिसके आधार पर सरकारें बाजार तक पहुँच के बारे में सौदा कर सकती हैं। सारी सेवाओं पर लागू होने वाली एक मात्र महत्वपूर्ण बात (एम. एफ. एन) सबसे खास देश और पारदर्शिता की है। सेवायें देने वाले विदेशी उद्यमों को अपने बाजार तक पहुँचने देने या राष्ट्रीय उद्यमों के बराबर दर्जा देने की कोई सामान्य बाध्यता नहीं थोपी गई है। ये सभी आपसी बातचीत और मांग आपूर्ति के आधार पर तय होंगे। डंकल ने प्रस्ताव किया है कि इन प्रस्तावों में बेहतर संतुलन के लिए अगले कुछ हफ्तों में बात चीत होना चाहिए। सेवा के क्षेत्र में निवेश और लोगों के आदान प्रदान में रियायतों के लिए इस बातचीत में मौका है। भारत में बैंक, एल.आई.सी., पोस्टल, दूर संचार, परिवहन (रेलवे, रोडवेज तथा एयर वेज) एवं परापर्श व प्रासेसिंग डाटा तथा स्वास्थ्य आदि के लिए विदेशी सेवा स्वीकार करने के लिए बराबर दबाव पढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि अमरीका अपने यहां की बेरोजगारी से तंग आ गया है और हमारे देश में उन्हें लगाना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हमारे यहां के बेरोजगार लोगों का क्या होगा?

संस्थागत मसले

विवाद निपटारा के लिए नियम और प्रक्रिया भी दी गई हैं। ये नियम समय बढ़, स्वचालित और न्यायिक नजरिए वाले हैं। समझौते में शामिल होने वाले देशों के लिए विवाद निपटारे के लिए स्पष्ट प्रावधान है। समझौते में शामिल किसी एक पक्ष द्वारा नाराज होकर बदले की कार्यवाई के लिए कदम उठाने से पहले समझौते में समिल किसी पूर्व सदस्य देश से अधिकार प्राप्त करना होगा। ये जो नियम बने हैं उन देशों के लिए इसका खास महत्व हो गया है, जिनके घरेलू कानून में एकतरफा कार्यवाई करने का प्रावधान है।

डंकल प्रस्ताव में बातचीत के जिस एक परिणाम को जोड़ा गया है। वह है बहुपक्षीय व्यापार संगठन (एम.टी.ओ) का गठन करना, जिसका उद्देश्य इसमें शामिल होने वाले देशों

के बीच गैट, गैट्स, ट्रिम्स समझौते से जुड़े मसलों पर एक साझा संस्थागत द्वांचा उपलब्ध कराना है। गैट का अगला स्वरूप एम.टी.ओ. होगा। इनके मुख्य अंग होंगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद, वस्तु परिषद, सेवा परिषद, बैद्धिक सम्पदा अधिकार परिषद।

अंगी भूत विवाद निवारण प्रणाली एम.टी.ओ का एक अंग होगी। गैट और ट्रिम्स का कानूनी दर्जा गैट से अलग होगा। इस मामले में गैट और ट्रिम्स बराबर दर्जे के होंगे। तीनों के विवाद निपटाने की प्रणाली एक जैसी होगी। व्यावसायिककरण से नाराज होकर बदले की कार्रवाई को अन्तिम अस्व माना गया है। प्रारंभिक हिफाजत के लिए अनेक उपाय किए गये हैं। अगर मामला किसी उप क्षेत्र वाला है तो उसे उसी स्तर पर निपटाना होगा। अगर उस उपक्षेत्र में व्यापार ही न हो रहा हो तभी विजेता पक्ष उसी समझौते के आधीन दूसरे उपक्षेत्र में जा सकता है। अन्तिम उपाय के तौर पर ही यदि मामला गंभीर है तो विजेता पक्ष बदले की कार्रवाई तक बढ़ सकता है। इसके लिए मध्यस्थ से बात करनी होगी। उसके निर्णय अन्तिम होंगे।

महा निदेशक के प्रस्ताव में बातचीत के निष्कर्षों को शामिल करते हुए अन्तिम कानून का भी प्रारूप दिया गया है। ऐसा दस्तावेज परिणाम तय करने, वार्ता में शामिल सरकारों द्वारा अपने अधिकारियों से मंजूरी के लिए एक ऐसा प्रस्ताव रखने की मंशा दिखाने के लिए तैयार किया जायेगा कि मानो उसे पूर्ण रूप में मंजूर करने के लिए रखा गया है।

कपड़े और पोशाक

कपड़े और पोशाक के बारे में विश्व व्यापार मल्टी फाइबर एरेंजमेंट (एम.एफ.ए.) से संचालित होता है। जिसमें माल आयात करने वाले देश को गैट के सामान्य नियमों की उपेक्षा करके आयात पाबन्दियाँ लगाने की सुविधा रहती है। कम मजदूरी के चलते अपने माल को सस्ते दर पर निर्यात करने वाले देश के माल पर रोक लगाने की सुविधा एम.एफ.ए. देता है। डकंल के प्रस्ताव में यह बातें शामिल हैं:-

1993 - 2002 तक एम.एफ.ए. को समाप्त कर दिया जाएगा।

10 साल का समय तीन चरणों में बँटा रहेगा। पहले चरण के पूरा होने पर 1990 के कुल आयात का 16% हिस्सा गैट के नियमों के आधीन आ जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः 17 और 18% आयात गैट में जुड़ेगा। इस प्रकार 1 जनवरी 2000 तक

51% आयात गैट के तहत आ जाएगा। शेष 49% 1 जनवरी 2002 तक जुड़ेगा। इस प्रकार पहले सात वर्षों में प्रभावी जुड़ाव कम है। जैसा दिखाई पड़ता है। सम्भव है कम सन्तोष जनक हो, क्यों कि पहले दो चरणों में 1993 - 1999 यूरोपीय आर्थिक समुदाय और अमरीका जो हमारे दो मुख्य बाजार हैं, अगर चाहें तो भारत में होने वाले आयात को इसके तहत जोड़कर यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। क्योंकि यहां के आयात में अभी कोई परेशानी नहीं है।

ट्रिम्स (व्यापार सम्बन्धी पूँजी निवेश तरीका) समेत गैट के नियम '*Trade Related Investment measures*'

सरकारों द्वारा मनमानी करने के कारण अनेक देशों को हटाने तथा मौजूदा गड़बड़ियों को दूर करते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बचाया और मजबूत किया जाय। साथ ही विकासशील देश चाहते थे कि आयात की मात्रा और निर्यात सब्सीडी जैसे व्यावसायिक नीति उपकरणों के उपयोग के मामले में उन्हें ज्यादा आजादी दी जाय। माल को किसी देश में ले जाकर सस्ता बेचना और बचाव समझौते के किसी एक पहलू को छोड़ कर नियम बनाने वाले हर क्षेत्र में सहमति कायम हो गई है।

डंकल द्वारा तैयार प्रस्ताव में मुख्य बातें निम्न लिखित हैं

किसी देश में सस्ता माल भरते जाने के क्रम को जब तत्काल बन्द कर दिया जएगा तब वहां के अधिकारी पायेंगे कि किसी एक देश का माल कुल घरेलू बाजार के 21/2% और एक खास माल 1% तक हो गया है कि नहीं।

लगातार दो वर्षों तक एक खास चीज के निर्यात में कुल विश्व व्यापार के 3.25% तक हिस्सा पालेने वाले ऐसे देशों पर निर्यात सब्सीडी हटाने की बाध्यता नहीं रहेगी, जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 1000 डालर से कम हो। वस्तु की परिभाषा भी तय करना महत्वपूर्ण है। अभी विश्व व्यापार में भारत केवल हीरे और गहनों के मामले में 10% हिस्सा रखे हुए है। शेष चीजों का निर्यात इसी तय सीमा से नीचे है।

पहले निर्यात के लिए तैयार होने वाले समान में लमने वाले कच्चे माल पर लगने वाला अप्रत्यक्षकर वापस हो जाता था। अब इस वस्तु के उत्पादन में खप जाने वाली ऊर्जा,

ईधन, तेल और उत्थेरक जैसी चीजों पर लगा कर वापस हो जाएगा।

स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण और अनुशासित विपणन पर रोक लगा दी गई है। घरेलू उद्योग को नुकसान होने से बचाने के लिए बिना भेदभाव रोक लगाने की व्यवस्था को माना गया है और कुछ मामलों में इसे समाप्त किया गया है। अगर किसी विक्रासशील देश के आयात 3% से अधिक न हों तो ऐसे सुरक्षात्मक उपाय लागू नहीं हो सकेंगे।

भारत जैसे विकासशील देश जब तक भुगतान संतुलन सम्बन्धी समस्या से परेशान हैं, वे आयात सम्बन्धी जरूरतों पर स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश को अनुभवि देने या ऐसे निवेश की सीमा तय करने की बाध्यता नहीं होंगी।

ट्रिप्स (व्यवसाय सम्बन्धी सम्पदा अधिकार)

'Trade Related Property Rights'

बैद्धक सम्पदा अधिकार के सम्बन्ध में डंकल प्रस्ताव की मुख्य बतों:-

कापी राइट संरक्षण बेने सम्बेलन के अनुसार होगा। इसके दायरे में अभिव्यक्ति कार्य प्रणाली, आपरेशन विधि, और गणित की अवधारणाएं भी आंएगी। कम्प्यूटर प्रोग्राम चाहे वह सोर्स में या आबजेक्ट कोड में हो, को साहित्यिक बस्तु मानकर उसको संरक्षित किया जाएगा। पढ़े जाने या किसी भी मशीन पर या वैसे भी आंकड़े अन्य सामग्री को, जिसकी एक खास रूपदेने में बौद्धिक रचना हुई है को भी संरक्षण किया जाएगा। कम्प्यूटर प्रोग्राम और सिनेमेटोग्राफी के काम में मूल लेखकों और उनके उत्तराधिकारियों का इनकी मूल प्रति या उसकी कापियों की व्यावसायिक बिक्री भाड़े पर देने या उस पर रोक लगाने का हक होगा। मौनोग्राम के प्रडयूसरों और इसमें भी और तरह का अधिकार रखने वालों का भी इसे भाड़े पर बेचने का हक होगा।

वस्तु हो या सेवाएं ट्रेडमार्क जरूर पंजीकृत होना चाहिए। विशेष जरूरत के समय ट्रेड मार्क का उपयोग बेकार गतिरोध पैदा करने के लिए नहीं करना होगा। ट्रेड मार्क के पंजीकरण करने में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवृत्ति को बाधा नहीं बनना चाहिए।

स्वतंत्र रूप से बनाए गये नये भौतिक औद्योगिक डिजाइन का संरक्षण होना चाहिए।

सूक्ष्म जीवों और गैर जैव तथा सूक्ष्म जैव प्रणालियों का पेटेन्ट हो सकेगा। पौधों की किस्मों का संरक्षण पेटेन्ट या प्रभावी विशिष्ट प्रणाली या फिर दोनों के मेल से किया जाना चाहिए। यद्यपि भारत में सूक्ष्म जीवों और गैर जैव या सूक्ष्म जैव के पेटेन्ट नहीं होते हैं।

पेटेन्ट की कालावधि 20 वर्षों तक करने का प्रावधान है। अनिवार्य लाइसेन्स देने का प्रावधान नहीं है।

कार्यावधि पेटेन्ट के बारे में सुझाव दिया गया है कि किसी एक में भी पेटेन्ट रखने वाले की अनुमति के बिना तैयार कोई भी उसी तरह का भाल तब तक सही माना जाएगा जब तक कि उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य उपस्थित न कर दी जायें।

इन्टीग्रेटेड सर्किट के ले आउट डिजाइन के बारे में भी संरक्षण देने का सुझाव दिया गया है। सभी देशों को एक वर्ष और विकासशील देशों को 4 वर्ष का संक्रमण काल दिया गया है।

बाजार

1992 के पहले दो महीने में सीमा शुल्क (कर) विभिन्न मामलों को दुतरफा बहुपक्षीय बात चीत से सुलझा लेने का सुझाव देने के अतिरिक्त डंकल ने कोई और प्रस्ताव नहीं किया है। पहले भारत सहित अनेक देशों ने सीमा शुल्क की कमी का सशर्त प्रस्ताव रखा था। भारत में कच्चे माल, अर्धनिर्मित चीजों और पूँजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में 30% तक कटौती का प्रस्ताव किया गया है।

डंकल प्रस्ताव में तो एक बात स्पष्ट है कि बहुत से मुद्रे ऐसे हैं, जो भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए उचित नहीं हैं। भारत को सभी विकासशील देशों को विश्वास में लेकर दबाव डालना चाहिए ताकि डंकल प्रस्ताव को विकासशील देशों के हित में संशोधित किया जा सके। और बड़े प्रतिबन्धों को वापस कराने में सफलता मिल सके।

अमरीका ने 301 स्पेशल चीन और थाईलैण्ड पर लगाया था। 1991 में जब अवधि समाप्त हो गयी तो चीन ने अमरीका की धमकी के जबाव में कहा कि जो करना हो करलो। अन्ततः आपसी समझौता हुआ। चीन का अमरीका के साथ 30 करोड़ का सरल्स स व्यापार है। वह अपना कानून बदले या न बदले इसका प्रभाव दूसरे देशों पर नहीं होगा।

‘गैट’ से बाहर निकल कर कानून में संशोधन हो सकता है।

जीन अभियान

भारत में आजकल जोरों से जीन अभियान चल रहा है। इस अभियान का प्रयोजन है कि सामाजिक संगठन और भारत की जनता भविष्य में आने वाले खतरे से दूर हो जाय। नवगठित जीन अभियान नामक संगठन ने भारत में बीज और पौधों की प्रजाति के सम्बन्ध में, सरकार की नयी आर्थिक नीतियों से उत्पन्न खतरे, बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव और ‘गैट’ के महानिदेशक आर्थर डंकल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के दूरगामी खतरनाक परिणामों की आम जनता को जानकारी हो जाय — के लिए अभियान छेद्दा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां परम्परागत बीज संरक्षण की भावना वर्षानुवर्ष से चली आ रही है, को बचाया जाय। इस निमित्त जीन अभियान नामक संगठन ने जन जागरण अभियान चलाया है।

भारत सरकार की बीज-नीति अत्यन्त उदार और मुक्त हो रही है। वर्ष 1987 में उच्च उत्पादकता वाली बीज की किस्में और संकर बीजों के उत्पादन के लिए बड़े बड़े औद्योगिक समूहों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये भारत ने द्वारा स्थोल दिए हैं। कुछ समय बाद इस नीति को और उदार बनाकर आयातित बीज की देश में परीक्षण की जावधि घटा दी गई है। अब “एक फसल एक बीज” कर दी गई है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विकसित देशों के इशारे पर जो अर्थ व्यवस्था भारत में पुनर्गठित हो रही है, इसी तारतम्य में बीजों और पौध के सम्बन्ध में दो दबाव पड़ रहे हैं। पहला डंकल ने अपने प्रस्ताव द्वारा यह दबाव डाला है कि पौधों की प्रजाति और उसमें स्थित जीन (अनुवंशकीय भाग) पेटेन्ट किया जाय, जब कि भारत में जीन का पेटेन्ट कभी भी नहीं किया गया। जीन तो ईश्वरीय सम्पत्ति है, जिसको किसी प्रकार से अनुबंधित किया जाना अपने देश में महापाप समझा जाता था। दूसरा दबाव अमेरिका द्वारा अपनी बौद्धिक सम्पदा मानकर डंकल द्वारा प्रस्ताव रखवा कर अमरीकी व्यापार अधिनियम 301 के तहत जीन प्रजातियों को पेटेन्ट करदाना चाहता है।

अन्तरराष्ट्रीय औद्योगिक संगठनों ने अपने मोहजाल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को फंसाकर हरित क्रांति कृषि संस्थानों के माध्यम से कुछ वर्षों में ही भारत के कृषि की तस्वीर में काफी बदलाव ला दिया है, जो भारत के किसानों के लिये आने वाले बहुत

ही अहितकर सिद्ध होगी ।

वर्ष 1979 में ही केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक के प्रमुख चावल विशेषज्ञों के एक दल ने यह चेतावनी दी है कि अधिकतर उत्पादकता वाली किस्मों के आनुवांशिक आधार बहुत ही संकीर्ण हैं । उनमें एक स्पष्टता भी है । बीमारियों और कीड़ों से आक्रांत होने का बहुत बड़ा खतरा है । उन्होंने कहा है कि, यदि अधिक उत्पादकता वाली किस्में बोई जाने लगीं तो आगे चलकर देश के सम्मुख अनाज का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है । जीन अभियान में पहली बार ही इन जटिल समस्याओं को आम जनता के समक्ष उजागर किया गया है ।

दिल्ली, वाराणसी, पटना, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, आगरा, देहरादून तथा लुधियाना आदि स्थानों पर जीन अभियान संस्थान ने सभाएं करके जनता को आंगामी खतरे से सचेत किया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को संगठन, किसान संगठन और मजदूर संगठनों द्वारा जीन बचाओ अभियान को और तेज किया जाय ।

डंकल प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर किसान की आजीविका की आजादी पर एक धातक हमला होगा । किसानों को अगली फसल के लिए हमेशा बीज खरीदने होंगे । पेटेन्ट प्राप्त विदेशी कम्पनियों का बीज पर एकाधिकार होगा । वे मनमानी कीमत भी वसूल कर सकते हैं । वे कानून व्यापार और चुंगी पर समान्य समझौते के तहत लागू होंगे ।

हमारा बीज हमारा देश

हमारे यहां के तथा कथित बीज विदेशी लोग अपने देश में ले जायेंगे । उनको अपने यहां की प्रयोगशालाओं में संस्कारित करेंगे । संस्कार के बाद वह उनका प्रोडक्ट पेटेन्ट (उत्पाद एक्स्प) बन जाएगा । यदि वह बीज हमारे देश में आता है, तो उनके बताए हुए दाम पर हमारे देश के किसान खरीदने के लिए बाध्य होंगे । जब कि अपने देश का किसान सब तरह के बीज उत्पादन की क्षमता रखता है । आज आवश्यकता इस बात की है कि “हमारा बीज, हमारा देश” का नारा बुलन्द किया जायें ।

भारत सरकार ने यदि कृषि सम्बन्धी डंकल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो प्राणी सृष्टि, बनस्पति सृष्टि व जीव सृष्टि पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा ।

परम्परागत फसलों में परिस्थिति को झेलने की ताकत होती है; तथा उसमें स्वास्थ्य पोषक तत्व होते हैं। इनका भिट्ठी और जलवायु से गहरा रिस्ता होता है। पहाड़ में उगने वाली तोमड़ी, लौंगी उसी वातावरण में होगी। सफेद सिन्धूरी आलू की फार्म में उत्पन्न की गई आलू से कोई तुलना नहीं है। मटुआ, कोदो, सौंवा, रामदाना जो आज लुप्त प्राय होते जा रहे हैं वे स्थानीय जलवायु और भिट्ठी से बहुत बड़ा रिश्ता रखते हैं। हजारों साल से जिस बीज को सुरक्षित रखा और समय समय पर उनका आवश्यकतानुसार विकास किया। हरित क्रांति के लुभावने नारों नै तो खेतों का इतिहास ही बदल दिया। बीज और पौध तथा वनस्पति संवर्धन का काम विदेशी कम्पनियों ने ले लिया। अब हमारे बीज और पौध तथा वनस्पतियां और पशु अन्तरराष्ट्रीय शोध के विषय बन गये हैं।

विदेशी कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। आज हमारी फसलों और नयी प्रजातियों की विविधता को नयी नयी प्रजातियों के विकास के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पेटेन्ट (एकस्व) और जीन बैंकों द्वारा इन पर विकसित देशों का एकाधिकार हो जाता है। मुफ्त में प्राप्त की गई जेनेटिक सम्पदा को बौद्धिक सम्पदा पेटेन्ट (एकस्व) के तहत एकाधिकार बना लेना या कब्जा कर लेना भारत के किसानों के साथ घोर अन्याय होगा। इसलिए परम्परागत बीजों से धरती को हरा भरा करने के लिए अपने अनमोल बीजों के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। इसर्व इकोलाजी एण्ड रिसोर्स पालिसी देहरादून ने इस विषय पर काफी चिन्ता प्रकट की है। इसने बीज बचाओ अभियान के अन्तर्गत परम्परागत बीजों के संकट के प्रति आहवान भी किया है। अगर परम्परागत बीजों का संरक्षण नहीं किया गया और रासायनिक प्रयोग का सिलसिला तेजी से बढ़ता गया तो वह दिन दूर नहीं जब अच्छी भली उपजाऊ भारत की धरती बंजर का रूप ले लेगी। सूखे की वजह से बारिस न आने के पीछे जेनेटिक विविधता का नष्ट होना भी है। कर्नाटिक में समय समय पर सूखा पड़ने का मुख्य कारण शंकर बाजरे की असफलता और जेनेटिक विविधता का नष्ट होना भी है।

परम्परागत बीजों के विलुप्त होने के कारण किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि करने के अपने लम्बे अनुभव का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। नयी तकनीक का जाधा अधूरा ज्ञान भारत के किसानों के लिये मुश्किल बनता जा रहा है। यद्यपि सम्यता की दौर में नयी तकनीक को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, किन्तु परम्परागत बीजों को नष्ट होने से बचाना भी अत्यन्त आवश्यक है। हरित क्रांति पाश्चात्य देशों से आयातित एक

दिवास्वपन है, जिसने बड़ी चालाकी से परम्परागत अनाज संरक्षण की अपनी विविधता पर कब्जा कर लिया है।

विकसित देशों की अविकसित देशों की आनुवांशिक संसाधनों पर निर्भरता

एक समय भारत में धान की 30,000 किस्में थीं। धान की विविध किस्में दुनिया भर में भारत से फैली हैं। विलक्षण धान की किस्मों का स्थान अब बौने धान की किस्मों ने ले ली है। आज धान की फसलों का 60% भाग विदेशी धान से ढका हुआ है।

रोग प्रतिरोध किस्म के आलू विकसित करने का एक मात्र श्रेय कोलम्बिया को है। प्रथम रोग प्रतिरोधी लोभियों की नस्ल के अन्वेषण का श्रेय अमरीकी किसानों को है। चावल की विभिन्न नस्ल तैयार करने का एक मात्रश्रेय भारत के किसानों को है। विकसित देशों की कृषि तीसरी दुनियां के अनुवांशिक संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर है। इन संसाधनों को अगर विकसित देशों में जाने पर रोक लगा दी गई तो विकसित देशों की कृषि कल ही समाप्त हो जाएगी। कनाडा ने अपने यहां गेहूं की चौदह किस्में विकासशील देश के गेहूं से विकसित की है। अमरीकी ककड़ियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरिया, बर्मा व भारत की ककड़ियों के जीन से ली गई है। पालक की नई किस्मों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भारत, इरान व टर्की के पालक की जीन से ले गई है। अमरीका, केली फोर्निया के अरबों डालर वाले खरबूज का उद्योग जो फॉफूद के कारण खतरे में पड़ गया था, फॉफूद रोग प्रतिरोधक क्षमता को भारत के खरबूज के जीन लेकर बढ़ाई गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अमरीका में विद्यमान आनुवांशिक संसाधनों पर यदि भरोसा किया गया तो अमरीकन कृषि को इतनी हानि होंगी कि उसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाएगा। अमरीकी व्यापारिक हितों के प्रतिनिधि डा० जेना मरे ने कहा है कि जैनेटिक इन्जीनियरिंग पूर्ण रूप से जैविक विभिन्नताओं पर आधारित है। डा० मरे ने अमरीकी सरकार से तृतीय विश्व के देशों के आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वार्ता करने का सुझाव दिया है। वनस्पति पौधों से सम्बन्धित अनुवांशिक संसाधनों का संग्रह कर उन्हें संरक्षित करने व उनके राजनीतिक तथा वाणिज्यिक एकाधिकार (पेटेन्ट) के लिए विश्व में एक संघर्ष छिड़ चुका है। वैज्ञानिक समुदाय खाद्य तथा कृषि संगठन के मंच से इस बहस को चला रहा है। लेकिन विकसित देशों में इस प्रकार की राजनीतिक एवं वैज्ञानिक बहस चलाने के प्रति सहनशीलता नहीं है।

विकसित देश गैट के माध्यम से येन केन प्रकारेण तृतीय विश्व के आनुवांशिक संसाधनों पर कब्जा कर लेना चाह रहे हैं। भारत और अन्य देशों के जीन्स को पेटेन्ट करने का परिणाम यह होगा कि भारत की कृषि पूर्ण रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में चली जायेगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 75% जनता कृषि पर आधारित है। जीन के पेटेन्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप अपने देश की पूरी अर्थ व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी। किसान की इस सम्पदा की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। यही मूल कारण है कि डंकल के प्रस्ताव का कृषि जगत में घोर विरोध हो रहा है और जो किसान नहीं हैं उन्हें भी इस विरोध कार्य में सहयोग देना चाहिए।

निस्तदेह जीन के पेटेन्टीकरण से भारत की खाद्य व्यवस्था का मूल अंग बीज उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में चला जायेगा। हिन्दूस्तान लीवर, सीबा, गायगी और रोने पौलैक जैसी विदेशी कम्पनियां भारतीय अन्य उत्पादन को नियंत्रित करेंगी न कि भारतीय किसान या नीति निर्धारक कर्ता। खाद्य उत्पादन की तीनों आवश्यकता, खाद वायों कीटनाशक व वायोतकनीकी से उन्नत किया गया बीज भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एकाधिकार में चला जाएगा। इस लिये इन चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। खेती इतनी महंगी हो जाएगी कि छोटा सीमान्त किसान नष्ट हो जाएगा। खेती ऐसे उद्योग में भी पूजी निवेश की जायेगी। कृषि-शोध का गला ही घुट जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों को पौध प्रजननकों को और प्लाइ बीडर्स को यह अधिकार नहीं होगा कि वे पेटेन्ट जीन का प्रयोग करके वेहतर कृषि उत्पादन के लिए बेहतर किस्म के बीजों का अविक्षार कर सकें या ऐसे बीज जो भारतीय जलवायु मिट्टी के अनुकूल साबित हों। पौध और पशु जीवित प्राणी हैं इनके पेटेन्ट की बात करना ही नैतिकता के खिलाफ है।

अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त भारतीय कृषि विशेषज्ञ एवं श्रेष्ठ वैज्ञानिक डा. एम. एस. स्वमिनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि डंकल प्रस्ताव स्वीकारन किया जाय। कृषि के विद्वान विशेषज्ञ होने से शायद उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। श्री स्वामीनाथन कहते हैं कि:-

(अ) पैदों के लिए कच्चा माल कृषक ही तैयार कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप आय. आर. 66 किस्म के चावल की प्रजाति बाहर देशों ने विकसित की है। यदि इस प्रजाति का पेटेन्ट देना हो तो वह किसे दिया जाएगा? जिन कृषकों ने इसके मूल बीज को सुरक्षित रखा

एवं उसके पुंसवन तथा प्रजनन के प्रयोग हेतु दिया- उन्हें पेटेन्ट दिया जायगा या वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? कोयम्बटूर में गन्ने की कई किस्में विकसित की गई हैं, जो विश्व में फैल गई हैं। भारत भी विदेशों में हुई कृषि संबंधी खोज से लाभान्वित हुआ है। परन्तु बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में डंकल का प्रस्ताव मान लिया जाय तो शोध एवं विज्ञान का विभिन्न देशों को यह आदान प्रदान बंद हो जाएगा और विज्ञान शास्त्री या विशेषज्ञ विज्ञान की अपेक्षा व्यापार में उलझ जाएंगे।

(ब) अनुदान - मूल्य कृषि की सहायता, अन्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में डंकल प्रस्ताव की बातें स्पष्ट रूप से हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर आधात करने वाली हैं।

(स) डंकल प्रस्ताव की असहमति को सरकार दबाने का प्रयास न करे। इसकी अपेक्षा, इस प्रस्ताव द्वारा विदेशों के अवश्यकता से अधिक उत्पादित अन्न के लिए बाजार खोजने वाले विकसित देशों के सब प्रकारके दबाव का, सरकार बुद्धिमानी से मुकाबला करे। क्योंकि यह प्रयास तीसरी दुनिया के देशों की प्रभुसत्ता पर आधात है।

हिन्दुस्तान लीवर का बढ़ता हुआ साम्राज्य

टाटा समूह ने टाटा वशिष्ठ डिटरजेन्ट लिमिटेड, इन्डस्ट्रियल परफैशूम लिमिटेड, इनटरनेशनल फिसरीज लि., कल्याणी सोस इन्डस्ट्रीज को हिन्दुस्तान लीवर को सौंपने का फैसला किया है। जब यह दशा टाटा की है तो छोटे उद्योग पत्रियों की क्या हालत होगी?

किन्तु सबसे दुःखद बात यह है कि एक लोकतांत्रिक समाज में जिनके भविष्य का फैसला हो रहा है, उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। डंकल प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने से पूर्व भारतीय किसानों, वैज्ञानिकों, और विशेषज्ञों की राय जानना आवश्यक है।

अच्छे बीज उत्पादन के कुछ उपाय

(अ) देश में अच्छा बीज तैयार करने वाली कई बीज उत्पादक भारतीय कम्पनियाँ हैं।

(ब) किसानों की सहकारी समितियाँ बनाई जायें।

(स) किसान भी अलग अलग अच्छे बीज का उत्पादन करें।

(द) भारत के बीज उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान जो अच्छे बीजें तैयार कर रहे हैं उन्हें और अधिक विकसित किया जाय।

(थ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो बीज उत्पादन का कार्य कर रही हैं। भारत के सार्वजनिक कृषि अनुसंधान संगठन समय समय पर उन्हें सहायता करते हैं इसको सख्ती से बन्द कराया जाय कारण कि मदद हमारी और फायदा विदेशी कम्पनियों को होता है। छोटी कम्पनियां बड़ी कम्पनियों के रहमें करम पर रहती हैं। छोटी कम्पनियों को इन विदेशी बड़ी कम्पनियों को रायल्टी देनी पड़ती है। चाहे वे बीज का उत्पादन करें या साफ करें या अन्य कोई प्रासेस करें वे विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनी बन जाती हैं। अपने सार्वजनिक कृषि उत्पादन संस्थान विदेशी कम्पनियों के पिछलगू बन जाते हैं। अपनी बड़ी और छोटी कम्पनियां जो बीज उत्पादन का कार्य कर रही हैं। बरबाद हो रही हैं। इस पर विचार किया जाय।

कृषि पर प्रभाव

कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं इतनी दूर घटित होती हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कई वास्ता नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि इनका हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे घटना कृत्रिम रंगों के अविष्कार की हो, जिसका नील की खेती करने वाले हमारे हजारों किसानों पर प्रभाव पड़ा था या रासायनिक खादों की जिनके परिणाम स्वरूप बौने किस्म के गेहूँ का विकास हुआ है। इन सुदूर घटनाओं का हमारी खेती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। निश्चित रूप से यह घटनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन घटनाओं की सूचना प्रायः किसानों तक नहीं पहुँचती हैं या ऐसी घटनाओं को उन तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। कृषि में कम आमदनी होने के कारण जीवन निर्वाहके लिए निवेश (IN PUT) में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है, किंतु यह बहुत मंहगा है। इसका प्रश्न केवल किसानों से ही नहीं। अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र से है। ऊपर का स्तर बढ़ाया जाय तभी समस्या का समाधान होगा। अनाज वृद्धि के लिए नयी तकनीक किसानों तक पहुँचाई जाय तथा उस तकनीक को उन्हे समझाने की व्यवस्था भी की जाय। वायों टेक्नालोजी के विकास पर ध्यान दिया जाय किंतु कृषि अनुसंधान को दिशा कौन दे यह भी समस्या अपने

देश में बनी हुई है। यह काम किसान करे या बड़ी बड़ी कम्पनियां। नयी तकनीक का लाभ किसे मिले इस विषय पर वौद्धिक सम्पदा पेटेन्ट का प्रश्न खड़ा होता है। यदि सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या निगमों के दबाव में आ जाती है और पौध प्रजनक अधिकार व्यवस्था को मान लेती है तो हमारी खेती पर इसके परिणाम भयंकर होंगे। किसानों पर विचार करने से पहले हमें यह देखना होगा कि बनस्पति पौधों आदि के मामले में वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार की आवश्यकता किसको है। भारत में पौधों की वौद्धिक सम्पदा की पक्षधर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी जो भारत में अंग्रेजों के समय से साबुन आदि बेचने का काम कर रही है, अब बीज उत्पादन का काम भी अपने हाथ में लेना चाहती है। कारण कि मुहमांगा दाम लेने के लिए। यह कम्पनी बीज उत्पादन का एकाधिकार चाहती है। एकाधिकार प्राप्त करने वाली कम्पनियां वहां काम नहीं करती हैं, जहां प्रतियोगिता हो।

पौध प्रजनक अधिकार दो तरह के हैं। पहला उन बीज कम्पनियों को लाभ होगा जो एकाधिकार चाहती है। साथ ही यह एक ऐसे नये किस्म का बीज निर्माणात्मकार करेगी, जिसकी प्रतियोगिता में कोई अन्य कम्पनी न हो। यह प्रचार के लिए विज्ञापन करती रहेंगी। अनुसंधान पर खर्च की गई रकम से विज्ञापन पर खर्च की गई रकम ज्यादा होती। नये किस्म के पौध प्रजनक अधिकारों के कारण कोई अन्य उस किस्म का उत्पादन नहीं कर सकेगा। नई किस्में उन्नत किस्म की हैं इसलिए उन्हें मुहमांगा दाम भिलेगा। नई कम्पनियां पेटेन्ट अवधि तब तक आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहेंगी जब तक इन्हे लाभ होता रहेगा। देश पर बीज सप्लाई का पड़ने वाला प्रभाव बीजी उद्योग के स्वास्थ्य, कृषि पदार्थों के निर्यात, टेक्नालोजी के प्रयोग, अन्ततोगत्वा किसान की आमदनी और उनके रहन सहन के सन्दर्भ में दिया जा सकता है।

निस्सन्देह अपने देश में अच्छे बीज सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या है। अब तक जिन नई किस्मों के बीज का विकास हुआ है वह किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। सरकारी ऐजेन्सियाँ इस काम को पूरा नहीं कर पा रही हैं। कुछ छोटी कम्पनियां इस काम में आगे आई हैं उनके काम करने का तरीका अवैज्ञानिक है। देश में बीज पैदा करने वाले स्वदेशी संगठन और बढ़ाना चाहिए। किसानों तक नई तकनीक को पहुंचाने की व्यवस्था होना चाहिए। किसानों की मांग के अनुसार यदि नई तकनीक उन तक पहुंचती है तो हमारे किसान उन नए-नए किस्मों के बीज उपलब्ध करा सकते हैं, जिनका हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशाला में

विकास किया जा चुका है।

पौध प्रजनक अधिकार की नई प्रणाली लागू होने के कारण अन्य बीज उत्पादकों के लिए मूल किस्म के बीज का विकास करना मुश्किल हो जाएगा। कम्पनीज्यदादार्थ भांगेमी और किसान महंगा बीज खरीदेगा। वायोटेकनोलोजी जैसे आधुनिक विज्ञान कालाभ प्राप्त करने के लिए इसमें काफी कठिनाई उठानी पड़ेगी। टेकनोलोजी की ऊँची लागत ही नहीं अपितु उपलब्धता में भी कठिनाई होगी। पौध प्रजनन अधिकार के कारण कृषि निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी ऐसा प्रचार किया जाता है, जब की इसके उलट पौध प्रजनक अधिकारों से निर्यातकी सम्भावनाएँ वास्तव में कम हो जाएंगी।

कुछ लोगों को यह भी डर है कि यदि हम बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को किसी न किसी रूप में स्वीकार नहीं करते तो हम विकसित देशों में तैयार की नई बीजों की उन्नत किस्में नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत सी फर्मों ने पौध प्रजनक आधिकारों के ही नयी किस्मों के बीज प्राप्त किए हैं। बीजों के स्वस्य निर्यात व्यापार पर ठेकेदारी नहीं हो सकती है, बल्कि यह निर्यात एक सम्पूर्ण बीज उत्पादन व्यवस्था के आधार पर ही हो सकता है, जिसके प्रजनन, बीज उत्पादन, और बीजों में सुधार करना भी सामिल हो।

भारत के पेटेन्ट कानून में परिवर्तन के भावी दुष्परिणाम

भारत का पेटेन्ट कानून इतना अच्छा है कि उसकी विश्व के अन्य देशों ने भी काफी प्रशंसा की है। अमरीका इंकल प्रस्ताव के माध्यम से उसमें बदल किए जाने के लिए प्रयास रहते हैं। यदि पेटेन्ट कानून 1970 में बदल किया गया तो उसके भावी दुष्परिणाम निम्नांकित होंगे।

(i) यदि कृषि क्षेत्र को पेटेन्ट व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया तो प्रक्रिया पेटेन्ट के स्थान पर उत्पाद पेटेन्ट करना होगा।

(ii) अनिवार्य लाइसेन्सिंग को यदि अधिक उदार बना दिया जायेगा तो उसे लागू करना कठिन होगा।

(iii) यदि पेटेन्ट अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष स्वीकार कर ली जाती है तो हमारा पेटेन्ट कानून व्यक्ति प्रधान हो जायेगा।

(v) समाज प्रधान होने की जो हमारे पेटेन्ट की विशेषतायें हैं वह समाप्त हो जायेंगी।

(iv) हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था छिन भिन हो जायेगी ऐसा करने से नियंत्रिका कारणों से धातक होगा।

(क) भारतीय कृषि अर्थ व्यवस्था के विकास को दिशा प्रदान करने की शक्ति बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथ में चली जायेगी।

(ख) कृषि पर हो रहे अनुसंधान कार्य रूप जायेंगे।

(ग) नये उत्पाद एवं नई किस्में निकालने का काम विदेशी पेटेन्ट धारकों द्वारा सब लाइसेन्स देने पर निर्भर करेगा और इस प्रकार हम अपने कानून द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य से वंचित हो जायेंगे।

(घ) आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ जायेगी और आयात के लिए हमें विदेशियों को मुंह मांगे दाम चुकाने होंगे।

(ड.) नियात को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हम अनेक विकसित और विकासशील देशों को नियात करने से वंचित हो जायेंगे।

(च) युवा उद्यमियों के लिए नये अवसर अवरुद्ध हो जायेंगे।

(छ) कृषि क्षेत्र में आधुनिक बनाने की प्रकृया को बहुत बड़ा धक्का लगेगा।

जिन परिवर्तनों की मांग की गई है, वे हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने विकास और आत्म निर्भरता की कीमत पर इन देशों के आगे झुक जायेंगे जो अपने निहित स्वार्थ के लिए डंकल प्रस्ताव के माध्यम से भारत पर कुटिल जाल बिछाये हैं। सबसे दुर्भाग्य पूर्ण बात यह होगी कि यदि भारत गैट करार की बातों को स्वीकार कर लेता है तो हमें अपने सभी आर्थिक कानूनों में बदल करना होगा। इन्टरनेशनल ट्रीटी के अनुसार हमारी संसद भी उन कानूनों का पुनर्संशोधन नहीं कर सकती है। मात्र रास्ता वही रहेगा, जिसे जर्मनी और चीन ने अपनाया हैं। हमें राष्ट्र हित में साहस जुटाने की

सख्त आवश्यकता है।

पेटेन्ट कानून को जैविक पदार्थों पर लागू करना महज पागलपन एवं भौतिक वादी देशों का अधिक से अधिक धन कमाने का एक मात्र राक्षसी भाव उजागर करता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार का अर्थ है कि जौरों को अपने अविष्कार की नकल या प्रतिरूप बनाने से रोका जाय। अमेरिका और युरोप में पूर्व से ही पौधों को पेटेन्ट किया गया है। उसी प्रकार के पेटेन्ट करने की अपेक्षा अमेरिका भारत से कर रहा है। युरोप और अमेरिका में किसानों ने पौध के पेटेन्ट करने का विरोध किया था। चूंकि औद्योगिक पेटेन्ट को पौध वनस्पति पर लागू करने में कई कठिनाइयाँ थीं, इस लिये पौधों के लिए अलग सम्पत्ति अधिकार बनाए गये, जिन्हें पौध प्रजनक अधिकार कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बीज को अपने हाथ में ले लिए जाने पर ऐसी जैव टेक्नालोजी के आगमन से पौधों के मामले में पहले से अधिक शक्तिशाली एकाधिकार की मांग कर रही हैं। इन अधिकारों को औद्योगिक पेटेन्ट की भाँति पौधों पर लागू करने के लिए कहा जा रहा है। पौधों का पेटेन्ट अमरीका ने 1985, यूरोप ने 1989 में किया है। इससे प्रजनक को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसान को एक वर्ष की फसल से प्राप्त बीज को बचाकर अगले वर्ष बुवाई से रोक सके। अपने पास बोने के लिये बीज नहीं होंगे, और प्रतिवर्ष बीज के लिए विदेशी कम्पनियों का मुंह देखना पड़ेगा।

वर्ष 1762 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस समय की बंगाल की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए ईस्टइण्डिया कम्पनी ने बहुत चिन्तित थी। उसने एक अत्यन्त घृणित तथा हृदय विदारक योजना बनायी। बंगाल में प्रचार किया गया कि अच्छी नस्ल का बीज इस बार ईस्ट इण्डिया कम्पनी बगांल के किसानों को मुहैया करायेगी। इसलिए किसान बीज की चिन्ना न करके अपना अनाज खा जायें। परिणामस्वरूप बीज भी खा गये और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने धोखा दिया तथा किसानों को समय पर बीज मुहैया नहीं कराया। खेतों में धन की रोपाई नहीं हुई। अनबोये तथा अनरोपे खेत अनाज कहां से पैदा करते। परिणाम स्वरूप अनाज का अभाव इतने बड़े अकाल का कारण बना कि बंगाल की आबादी 3 करोड़ 6 लाख में से मरने वालोंकी संख्या एक करोड़ 4 लाख होने के कारण दो करोड़ 2 लाख रह गई। (नेशनल वर्किंग ग्रुप आन पेटेन्ट लाज से साभार प्राप्त) यदि हमारा देश बीज के मामले में विदेशी कम्पनियों पर निर्भर करेगा तो क्या ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कुत्सित मंशा वाला इतिहास भारत की बढ़ी आबादी को कम करने के लिए पुनः नहीं

दोहराया जायेगा? अवश्य दोहराया जायेगा। यह विदेशी कम्पनियाँ एक ही साल में भारत की आबादी को कम कर देगी। इसलिए हमें इस षडयंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता है।

हमारे देश का किसान ऋण और उसके ब्याज के बोझ से दबा किसान है ऋण के एवज में वह अपने खेत, खलिहान, उगी फसल और घरके आभूषण गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाता है। मजबूरी में वह कभी कभी अपना जमीर स्वभिमान भी गिरवी रख देता है। बेबस हो वह अपना गाय बैल बेचता है। अभी हम ऋण जाल में फँसते जा रहे हैं। हमारे साहुकार हैं दुनियां के अमीर देश, अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक और किसान हैं भारत। अपने ऋण चुकाने के लिए वह अपनी खदान, रेलवे, पोस्टल, दूरसंचार माध्यम, पथ परिवहन, आदि ही तो गिरवी रखेगा। यदि इससे भी काम न बना तो अपने पंच सितारा होटल सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और शेष बचे सरकारी भवन गिरवी रखने के लिए बाध्य होगा। जो दुर्दशा ब्राजील, मैक्सिको और फिलिपाइन की हुई है वही दुर्दशा भारत की होगी, पूरे देश के जनता की होगी, भारत के स्वभिमान की होगी, भारत के प्राचीन गौरव, संस्कृति एवं समृद्धि की होगी। अभी तो हम केवल रूपये का अवमूल्यन विदेशी दबाव के कारण कर रहे हैं, जिसके कारण भारत तबाह है। कल तो अवमूल्यन होगा भारत के स्वभिमान का भारत की अस्मिता का एवं भारत की कोटि कोटि जनता का।

देश को गरीबी, बेरोजगारी एवं विषमता ने धेर लिया है। चारों ओर विकट समस्यायें हैं। देश की 70% सम्पत्ति 60 आधोगिक घरनों में कैद है। यद्यपि अपने देश में गेहूं और चावल की औसत उपलब्धता 334.2 ग्राम से बढ़कर 556.2 ग्राम हो गयी है। फिर भी 50% जनता को दो जून की रोटी मवस्सर नहीं होती है। 150 मनुष्य और 150 यंत्र मानवों के सहयोग से अमेरिका में कार उद्योग चलाना भले ही योग्य एवं उचित हो, किंतु भारत में अपनी आवश्यकता को देखते हुए 150 यंत्र मानवों के स्थान पर 1500 मनुष्य शक्ति को रोज़गार देना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत के साथ ही चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। कम्युनिस्ट देश होने के कारण उसने भी सेवियत रूस के आर्थिक ढांचे को अपनाया, किंतु कुछ दिनों के बाद उनके ध्यान में आया कि यह आर्थिक ढांचा चीन के अनुकूल नहीं है। उन्होंने उसे तुरत छोड़ कर चीन की परिस्थितियों के अनुसार अपना चीनी ढांचा विकसित किया।

रूस के महालनोविस के आर्थिक ढांचे की विफलता के बाद पण्डित नेहरू को भी यह बात 1963 में समझ में आ गई कि हमें अपना स्वदेशी आर्थिक ढांचा बनाना चाहिए, किन्तु नेहरू का सोचना उनके स्वर्गवास होने के कारण उन्हीं के साथ चला गया और वही पूँजीवादी ढांचा चलता रहा, जिसने आज देश पर कर्ज का भारी बोझ लाद दिया है।

रहिमन देखि बड़ेन को लघु न दीजिये डार

कवि रहीम ने कई सदी पहले लोगों को चेतावनी दी थी कि बड़ी और आकर्षक लगने वाली वस्तुओं की चकाचौंध में आम वस्तुओं को छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब सूई की जरूरत पड़े तो चमचमाती तलवार काम नहीं करती है। इस नसीहत के बावजूद भारत के शासक वर्ग का बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों के हितों के अनुकूल अपने यहां आर्थिक नीतियों को लागू करने की भागदौड़ में व्यस्त है। आर्थर डंकल के प्रस्ताव पर भारत का रवैया कुछ ऐसा ही है। अमेरिका द्वारा दिखाये गये वस्त्र निर्यात द्वारा प्राप्त बड़े मुनाफे के लोभ के कारण भारत के नीति निर्धारकों का एक बड़ा भाग दवाओं के निर्यात द्वारा वस्तुतः प्राप्त मुनाफे को छोड़ने को तैयार है। कार्ल्स हिल्स ने दिल्ली आकर ऐसी छड़ी मुमाई की एक गुजरे जमाने के बड़ी सूझ बूझ वाले राजनीतिज्ञ अब्दुलरहीम खानखाना की बातें भी भूल गये।

देश के गले में फांसी का फन्दा डंकल

देश में गेहू का पर्याप्त भण्डार रहने के बावजूद सरकार ने 526 रुपये किवंटल की दर से 30 लाख टन गेहू अमेरिका से खरीदा जब कि भारत के किसानों से वह 270 रुप्रति किवंटल खरीदती है। खाद, बिजली, पानी के सवसीड़ी से सरकार धीरे धीरे अपना हाथ छीचती जा रही है। हालांकि खाद पर दी जाने वाली सब्सीडी को यूरोपीय राष्ट्र तक हटाने को तैयार नहीं है। फ्रांस ने इस मुद्दे पर गैट से हटने तक की धमकी दे दी थी। यूरोपीय किसान हमारे किसानों की तुलना में अधिक समृद्ध है। वहां औद्योगिक कार्य का मुख्य आधार कृषि है। इसलिए किसानों का विनित होना स्वाभाविक है। डंकल प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से भारतीय कृषि क्षेत्र पर विदेशी कम्पनियां छा जायेंगी। वे कम्पनियां जब अपने सस्ते माल से भारतीय मण्डियों को भर देगी और किसानों को सरकार की ओर से पानी, बिजली और खाद पर दी जाने वाली सब्सीडी समाप्त हो जायेगी। तब इस दोहरी मार से देश का गरीब व मध्यम किसान लगभग भिखारी हो जाएगा। आज तो कृषि, खनिज उद्योग,

पेट्रोलियम आदि किसी भी नीति की धोषणा विदेशी पूँजी निवेश को ध्यान में रखकर की जाती है। इसलिये सभी क्षेत्रों में अधोषित डंकलवादी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

निष्कर्ष

इस बात के लिए बराबर संघर्ष चलता रहा है कि कृषि उत्पादन का लाभ किसे मिले। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नयी तकनीक अपनाने से कृषि में उपज बढ़ी है, लेकिन किसान को उतना लाभ नहीं मिला, जितने लाभ की उसे अपेक्षा थी। लाभ का अधिक हिस्सा बड़ी बड़ी कम्पनियों एवं व्यापारियों को मिला। यदि वैद्युत सम्पदा को यहां कृषि पर लागू किया गया तो, कृषि का लाभ अधिकांश विदेशी कम्पनियां ले जायेंगी। इसलिए वे लोग जो खेती में काम करते हैं किसान विरोधी काम के खिलाफ आवाज उठायें। यह आवाज उठाना इस लिए भी आवश्यक हो गया है कि कल काफी देर हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि हर साल बीज, बीज कम्पनी बेचेंगी। पौधा प्रजनक मालिकों की अनुभवित के बिना अन्य किस्मों के बीज विकास के लिए नयी किस्म का उपयोग नहीं कर सकेंगे और बीजों के अच्छी किस्म का विकास रुक जायेगा। कृषि पर उल्टा असर पड़ेगा। यदि आप के पौधों का बीज आप के पड़ोसी के बाग में गिर जाय और वहां पर पौधा उग आये, तो वह कम्पनी के अधिकार का उल्लंघन होगा।

1988 में अमरीका ने अनुवांशिकी (जेने टिक्स) इन्जीनियरींग के सहारे पैदा की गई चुहिया के लिए पेटेन्ट किया था। अमरीका ने सोचा है कि मानवीय प्रवीणता से उत्पन्न सभी गैर मानुषिक, गैर प्राकृतिक वस्तुओं के लिए पेटेन्ट किया जा सकता है। यदि गाय बछड़े को जन्म देती है तो वह बछड़ा किसान का नहीं होगा, किन्तु मनुष्य के विषय में सभी कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप में इस बात की चर्चा जोरों की है कि मनुष्य को पेटेन्ट से बाहर रखा जाय, किन्तु मनुष्य के अंग को इससे बाहर रखना असम्भव है।

अतः यह नितांत आवश्यक हो गया है कि, इससे पूर्व कि जिनेवा में हमारे जासक घुटने टेक दें और भारत के किसान का भविष्य अन्धकार मय हो जाय, किसानों को अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी। बढ़ती हुई उपनिवेशवादी प्रवृत्ति से हमें साक्षात् होना होगा। पूरे देश की जनता को भी इन समस्याओं से अवगत कराना होगा। यह तभी सम्भव है, जब हम स्वयं जारें और दूसरों को भी जगायें। स्वयं उठ खड़े हों और दूसरों को भी उठ खड़े होने के लिए बाध्य करें।

✓ डंकल प्रस्ताव के कुछ बिन्दु

- (1) उत्पाद को पेटेन्ट किया जाना।
- (2) पेरिस कन्वेंशन 1883 को स्वीकार करना।
- (3) पौध, वनस्पति, कृषि व पशु प्रजातियों का पेटेन्ट।
- (4) अनुदान, कृषि पर सहायता की रोक, अन्धभण्डारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर रोक।
- (5) रसायनों, औषधियों आदि क्षेत्रों में उत्पाद पेटेन्ट के लिए दबाव।
- (6) किसान को बीज रखने पर रोक।
- (7) व्यक्ति और उपभोक्ता में व्यक्ति को प्राथमिकता दिया जाना।
- (8) विकासशील देश की विकास की संभावनाएँ समाप्त।
- (9) किसानों की आजीविका पर खतरा।
- (10) आर्थिक संप्रभुता पर फांसी का फन्दा।
- (11) वायो टेक्नालॉजी स्वीकार करने का दबाव ताकि भारत उससे लाभ न उठा सके।
- (12) उत्पाद का अन्तरराष्ट्रीयकरण।
- (13) विकासशील देशों के बाजार का दोहन।
- (14) वस्त्र जैसे सामान्य उत्पाद पर अंकुश।
- (15) औपनिवेष्क शोषण का नया ढंग।
- (16) अन्तरराष्ट्रीय पूँजी स्वीकार करने का दबाव।
- (17) पेटेन्ट अवधि बढ़ाना 5 से 20 वर्ष।
- (18) सेवाओं में व्यापार के लिए सेवाओं का पेटेन्ट किया जाना।

एक नजर में

- (1) 1762 बंगाल में भीषण अकाल (एक करोड़ लोगों की मृत्यु)।
- (2) 1856 भारत में पहला पेटेन्ट कानून बना।
- (3) 1867 विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना।
- (4) 1883 पेरिस कनवेन्शन।
- (5) 1911 भारतीय पेटेन्ट कानून में पहला संशोधन।
- (6) 1948 स्थापना जनरल एग्रीमेन्ट फस्ट ट्रेड एण्ड टेरिप्स (गैट)
आन
- (7) 1948 भारतीय पेटेन्ट कानून 1911 में गुण - दोष विचारार्थ कमेटी गठित।
- (8) 1957 भारतीय पेटेन्ट कानून की जाँच हेतु दूसरी कमेटी बनी।
- (9) 1970 नया पेटेन्ट कानून बना।
- (10) 1985 राजीव गांधी का अमरीकी राष्ट्रपति से समझौता-भीषण आर्थिक संकट की शुरूआत।
- (11) 1986 सितम्बर में पेरिस कनवेन्शन पर उरुग्वे में वार्ता प्रारंभ।
- (12) 1990 दिसम्बर में पेरिस कनवेन्शन पर वार्ता का आठवां दौर समाप्त।
- (13) 1980 भारतीय पेटेन्ट में परिवर्तन किया जाय न किया जाय पर विचारार्थ कार्यकारी दल का गठन।
- (14) 1988 अमरीका द्वारा अनुवांशिक इन्जिनियरी के आधार पर चुहिया पैदा किया जाना व उसका पेटेन्ट।
- (15) 1985 अमरीका में पौध को पेटेन्ट करने का कानून बना।
- (16) 1989 यूरोप में पौध के पेटेन्ट करने का कानून बना।